राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

(देवस्थान भवन, 4 मीरा मार्ग, पंचवटी, उदयपुर–313001)
Tel No. 9214235100 E-mail resdd2013@gmail.com Website: www.devasthan.rajasthan.gov.in, www.resdd2013.org

प्रबंधक ग्रेड–II, पुजारी एवं सेवागीर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या 1/2013 दिनांक : 25.9.2013

राजस्थान देवस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2000 के अन्तर्गत देवस्थान विभाग के अधीनस्थ राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिरान की सेवापूजा, अर्चना एवं प्रबंध हेतु प्रबंधक ग्रेड–II (7 पद), पुजारी (47 पद) एवं सेवागीर (11 पद) की सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। परीक्षा का कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

1. कार्यक्रम

- ई–मित्र कियोस्क/जनसुविधा केन्द्र पर शुल्क जमा कराकर टोकन प्राप्त करने की तिथि : **28.09.2013 से 15.10.2013**
- वेबसाईट पर टोकन नम्बर अंकित करके ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि : **28.09.2013 से 16.10.2013**
- वेब साईट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना : **22.10.2013 से**
- परीक्षा तिथि : **27.10.2013 अपरान्ह् 2.00 बजे**

आवेदक भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह भर्ती हेतु निर्धारित अर्हताओं की पूर्ति करता हों। किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आवेदक निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण नही करता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा के परिणाम अथवा वरियता सूची में स्थान प्राप्त होने के बावजूद भी वह योग्य नही माना जाएगा।

लिखित परीक्षा के पश्चात् वरियता सूची में निर्धारित स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को समस्त मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपनी योग्यता, आरक्षण हेतु अपनी दावेदारी को प्रमाणित करना होगा। गलत जानकारी देना, छिपाना, दस्तावेज प्रमाणित नही कर पाना आदि होने की स्थिति पर किसी भी स्तर पर पात्रता निरस्त समझी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

2. ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया

परीक्षा आवेदन : प्रबंधक ग्रेड–II, पुजारी एवं सेवागीर की भर्ती परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन पत्र कार्यालय की भर्ती की वेब साईट www.resdd2013.org से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निम्न कार्य करे :

(क) आवेदन भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व राज्य के निर्धारित ई–मित्र/जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) पर अभ्यर्थियों को अपने वर्ग के अनुसार निम्नानुसार **आवेदन शुल्क जमा कराना होगा।**

आवेदक का वर्ग	आवेदन शुल्क (रूपयो में)	
	राजस्थान के मूल निवासी	अन्य राज्यों के निवासी
सामान्य	600/–	600/–
अन्य पिछड़ा वर्ग	600/–	600/–
विशेष अन्य पिछड़ा वर्ग	600/–	600/–
अनुसूचित जाति	300/–	600/–
अनुसूचित जनजाति	300/–	600/–
टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति	300/–	600/–
टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति	300/–	600/–
टी.एस.पी. क्षेत्र के सामान्य	600/–	600/–
सहरिया आदिम जाति	300/–	600/–
निःशक्तजन	300/–	300/–

निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराकर टॉकन नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् www.resdd2013.org पर ऑन लाइन आवेदन करें। इस हेतु आवेदक द्वारा 30/– (रूपया 20/– आवेदन पत्र भरने हेतु तथा रूपया 10/– आवेदन शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देने होंगे। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन भरना चाहता है तो वह ई–मित्र क्योस्क या जनसुविधा केन्द्र पर केवल रूपया 10/– शुल्क जमा करा कर www.resdd2013.org के माध्यम से स्वयं आवेदन कर सकता है। ऑन लाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अनुदेश व ऑनलाईन प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाने पर आवेदक को रूपये 20/– की रसीद पृथक से कटवानी होगी। ऑनलाईन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।

(ख) आवेदन शुल्क व ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित शुल्क की राशि ई–मित्र कियोस्क या जनसुविधा केन्द्र पर केवल नकद राशि के रूप में स्वीकार्य की जावेगी।

(ग) आवेदन शुल्क नकद जमा कराते समय आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आवेदन किये गये पद का नाम वर्ग आदि सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन शुल्क जमा कराने के उपरान्त कम्प्यूटर द्वारा निकाली गई पर्ची जिसमें उक्त सूचना के साथ टॉकन नम्बर जारी किया जावेगा, जो अभ्यर्थी के लिए एक रसीद का कार्य करेगी। साथ ही यह टॉकन नम्बर ऑनलाईन आवेदन भरते समय अंकित (Enter) करना अनिवार्य होगा। टॉकन नम्बर अंकित किये बिना ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं होगा।

(घ) राजस्थान राज्य के बाहर के आवेदक चाहे किसी भी वर्ग के हो उन्हें ई–मित्र या जनसुविधा केन्द्र से सामान्य वर्ग का टॉकन प्राप्त करना होगा। अर्थात राज्य के बाहर के व्यक्तियों को आवेदन शुल्क में छूट देय नहीं है।

(ड) आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलॉड करने के लिए अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज (4.5X3.5 CM) फोटोग्राफ ई–मित्र कियोस्क या जनसुविधा केन्द्र पर साथ लावें। आवेदक अपनी शास्त्री परीक्षा या संस्कृत सहित बी.ए./उपाध्याय या उत्तर मध्यमा या संस्कृत सहित सीनियर सैकण्डरी/प्रवेशिका या पूर्व मध्यमा या संस्कृत सहित सैकेण्डरी की अंकतालिका व प्रमाणपत्र, आरक्षण सम्बन्धि समस्त प्रमाणपत्र, (विधवा/तलाकशुदा/भूतर्पूव सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र /सहरिया आदि) प्रमाण पत्र अपने साथ रखें।

(च) आवेदक यह ध्यान दे कि ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान अपना आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) एवं बार कॉड अंकित हार्ड कॉपी अवश्य प्राप्त करें।

ऑनलाईन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरे। आवेदन पत्र किसी अन्यत्र जैसे साईबर कैफे ऑपरेटर/ई–मित्र आदि द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएं अपने प्रमाणपत्रों के अनुसार आवेदन पत्र में सावधानीपूर्वक जांचने के

पश्चात् ही OK करके हॉर्डकॉपी प्रिंट की जावे। ऑनलाईन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा गलत जानकारी देने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(छ) अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट :– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

(ज) आवेदन अवधिः आवेदन दिनांक 28.9.2013 से दिनांक 16.10.2013 रात्रि 12.00 बजे तक के मध्य भरे जा सकेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

आवेदक को आवेदन पत्र की हार्डकॉपी की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। परीक्षा की दिनांक को आवेदन पत्र की प्रति पर अपने हस्ताक्षर करके रंगीन फोटो चस्पा कर रोल नम्बर लिखकर परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को जमा कराना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के बिना परीक्षार्थियों को केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा। विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाईन ही जारी किये जाएगे। डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र नही भेजे जाएंगे।

लिखित परीक्षा संबंधी कार्य के लिए प्रधान कार्यालय में परीक्षा अनुभाग स्थापित किया गया है जिसका टेलीफोन नं0 9214235100 **है। यह अनुभाग प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्यशील रहेगा।**

हेल्पलाईन नम्बर

आवेदन प्रकिया/परीक्षा सम्बन्धी जानकारी/मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाईन टेलीफोन नम्बर 0294–5150718–20 पर सम्पर्क करें।

परीक्षा केन्द्र : लिखित परीक्षा दिनांक 27.10.2013 अपराह 2.00 बजे से 4.00 बजे तक जिला/संभाग मुख्यालय के परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित होगी। परीक्षा केन्द्र का पूर्ण विवरण प्रवेश पत्र पर अंकित किया जावेगा।

3. भर्ती हेतु पदों का वेतनमान एवं आरक्षण

प्रबंधक ग्रेड II – पी.बी. 1 5200–20200 ग्रेड पे 1900

पुजारी – पी.बी. 1S 4750–7440 ग्रेड पे 1700

सेवागीर – पी.बी. 1S 4750–7440 ग्रेड पे 1700

क्र. स.	पदनाम	भरे जाने वाले पद	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.व.			सामान्य			
			म.	भू.पू.से.	सा.	म.	निःशक्त	सा.	म.	भू.पू.से.	सा.	म.	भू.पू.से.	निःशक्त	सा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	प्रबंधक ग्रेड II	7	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	3
2	पुजारी	47	1	1 म.	5	1	1	3	2	1 म.	6	7	1 म. 2 पु.	2	14
3	सेवागीर	11	–	–	3	–	–	2	–	–	1	1	–	1	3

- विज्ञापित पदों में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदो को उपरोक्त सेवा नियम 7 के उपनियम (4) के प्रावधानान्तर्गत तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति, राजस्थान के अजा./अ.ज.जा. के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जातें। किन्हीं भी परिस्थितियो में राजस्थान के अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियो के लिये आरक्षित पदों को अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा।
- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यो के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होनें पर इन पदो को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- किसी वर्ग (सामान्य, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति, पिछड़ा, विशेष पिछड़ा वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होनें की स्थिति में उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण :– सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, इनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पुरूष अभ्यर्थियों से भरी जायेगी और ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेंगी और आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिलाएं अभ्यर्थी है आनुपातिक रूप में समायोजित किया जायेगा।

- विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला, अराजपत्रित कर्मचारी, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत रूप से होगा, परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होगें उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी हैं, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा, जिसमें से 8 प्रतिशत विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।
- किसी वर्ग (सामान्य, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति, पिछड़ा, विशेष पिछड़ा वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होनें की स्थिति में उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण :– उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के लिए उस वर्ष चिन्हित आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र तथा उपयुक्त खिलाड़ियों के उपलब्ध न होने की दशा उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी आयेगी और ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा और इसका समायोजन उस संबंधित प्रवर्ग में किया जायेगा जिससे खिलाड़ी संबद्ध है।

  स्पष्टीकरण :– ''उत्कृष्ट खिलाड़ियों'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तरर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे संबंधित राष्ट्रीय स्तर के संघ, फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में, सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–

सेवा का वर्ग	विवरण
अधीनस्थ सेवा	एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालयों खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आईटम में) या उसकी टीम ने (टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय, या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

4. शैक्षिक योग्यता एवं आयु

- प्रबंधक ग्रेड– II :– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री परीक्षा या संस्कृत सहित बी.ए. उत्तीर्ण।
- पुजारी :– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वरिष्ठ उपाध्याय या उत्तर मध्यमा या संस्कृत सहित सीनियर सैकेण्डरी उत्तीर्ण।
- सेवागीर :– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्रवेशिका या पूर्व मध्यमा या संस्कृत सहित सैकेण्डरी उत्तीर्ण।
- यदि आवेदक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अलावा किसी अन्य बोर्ड से आयोजित वरिष्ठ उपाध्याय, उत्तर मध्यमा या संस्कृत सहित सीनियर सैकण्डरी/प्रवेशिका या पूर्व मध्यमा या संस्कृत सहित सैकेण्डरी परीक्षा उतीर्ण की हो तो इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा समकक्षता की मान्यता प्राप्त होने पर ही वह प्रवेश हेतु प्रात्र होगा। (अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता का समकक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर से पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत उपाध्याय/हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण आवेदन को भी अन्य शर्ते पूर्ण करने पर प्रवेश हेतु योग्य माना जावेगा।

आयु:– राजस्थान देवस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2000 के नियम 14 के अनुसार आवेदक 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु

- महिला अभ्यर्थियों और अनुसुचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति /पिछड़ा वर्ग /विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले मे 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

- उपरवर्णित अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामलें में लागू नहीं होगी जो अपनी दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

- अन्य भुतपूर्व कैदी के मामलें में, उपरवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भूक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि तक 'की छूट दी जायेगी बशर्ते कि वह दोष सिद्धि से पूर्व अधिकायु नहीं था तथा इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

- सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों की आयु सीमा में ही समझा जायेगा यदि वे प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे चाहे उन्होंने आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय उपर्युक्त रूप से आयु सीमा में थे तो उन्हें दो अवसर अनुज्ञात किये जायेंगे।

- एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों के मामलें में उपरवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गयी सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित न्यूनतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।

- राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी तौर से सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामलें में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

- पंचायत समितियों और जिला परिषदों तथा राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ निगमों के कार्याकलापों के संबंध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामलें में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

- विधवाओं और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामलें में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :– यह कि विधवाओं को अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विवाह विच्छिन्न महिला के मामलें में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- रिजर्विष्टों अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के उन कार्मिकों, जिन्हें रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया है और भूतपूर्व सैनिकों के मामलें में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

- राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम 2000 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 10 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 13 वर्ष तथा अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 15 वर्ष की छूट होगी।

- उपरोक्त आयु सम्बन्धी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cummulative" है अर्थात अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा।

5. प्रबंधक ग्रेड–II, पुजारी एवं सेवागीर भर्ती हेतु अन्य आवश्यक शर्ते

- राष्ट्रीयता :– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह :–

  (क) भारत का नागरिक हो, या

  (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

  (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

  (घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

  (ड) भारतीय उद्‌भव का व्यक्ति हो जो भारत में स्थयी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रिका के देश कीनिया, युगाण्डा तथा तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टागांयोपिया से आया हो,

  परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ड) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण–पत्र दे दिया हो।

  ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामलें में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र दिये जाने के अध्यधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

- चरित्र :– सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, जिसमें उसने अंतिम शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र औीर ऐसे ही दो प्रमाण –पत्र दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के, जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित न हों और न ही उसके रिश्तेदार हों और जो उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से छः माह से अधिक पूर्व के लिखें न हों, प्रस्तुत करने होंगे।

  टिप्पणी :– (अ) न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र को सच्चरित्रता प्रमाण पत्र न दिये जाने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें या हिंसा या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है जिसका उद्‌देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो केवल दोषसिद्धि को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

(ब) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ जिन्होंने कारावास में अपने अनुशाषित जीवन से और वाद के सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर लिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजनार्थ इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके है। उन व्यक्तियों को जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराये जा चुके है। उन व्यक्तियों को जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अद्यमता की कोई वात अन्तर्ग्रस्त नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा यदि वे ''पश्चात्वर्ती देखरेख गृह'' के अधीक्षक की या यदि किसी जिला विशेष में ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।

(स) उन व्यक्तियों से जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अद्यमता अन्तर्गत है, ''पश्चात्वर्ती देखरेख गृह'' के अधीक्षक का या यदि किसी जिला विशेष में ऐसे ''पश्चात्वर्ती देखरेख गृह'' नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चातवर्ती देखरेख गृह में अपने वाद के सदाचरण से यह साबित कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये है और वह नियोजन के लिए उपयुक्त है।

- अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें :–इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे व्यक्ति के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों और अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।
- निःशक्तजन के लिये दर्शाए गये आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, इन पदो को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा तथा नियम 5(4) के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियो की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण के, पद भरा नहीं जा सकता हो वहॉ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षो तक अग्रनीत किया जायेगा।
- ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान राज्य के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियो हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।
- अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की वरियता के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उस आधार पर वरियता का निर्धारण किया जायेगा। प्राप्तांक और आयु एक समान होने पर वरियता का निर्धारण का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या मे कमी या वृद्धि की जा सकती हैं।
- पेंशनः– नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर अशंदायी पेंशन योजना लागु होगी।
- राज्य सरकार की अधिसुचना प.1(2)एफ.डी./रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं प.12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार एवं वित्त विभाग की अधिसुचना संख्या प.11(7)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 12.09.2008 के नियम 21 (अनुसुची–4) के अनुसार 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिये नियत पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी जावेगी।
- ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा। भर्ती नियमों में उल्लेखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही नियमित वेतन श्रृंखला एवं भत्ते देय होंगे।
- अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कोई मानसिक या शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जो उसके सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन

करने में बाधक हो और यदि वे चुन लिया जाये तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- अनियमित या अनुसूचित साधनों का प्रयोग :– ऐसा अभ्यर्थी जो आयोगा/नियुक्ति प्राधिकारी नियम 23 में निर्दिष्ट समिति द्वारा प्रतिरूपण से करने का अथवा बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गई है, प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में नावाजिब साधनों का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग करने के प्रयास करने का या परीक्षा अथवा साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका है तो फौजदारी मुकदमा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसे :–

  (क) आयोग नियुक्ति प्राधिकारी नियम 23 में निर्दिष्ट समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी/नियम 23 में निर्दिष्ट समिति द्वारा,

  (ख) सरकार के अधीन नियोजन के लिए सरकार द्वारा स्थायी तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

- संयाचना :– सीधी भर्ती के लिए नियमों के अधीन अपेक्षित से भिन्न किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा।

6. नियुक्ति के लिए निरर्हता

- कोई भी पुरूष/महिला अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्निया/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार अपना इन बात से समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिये स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय कोई विशेष आधार है, किसी अभ्यर्थी को इन नियम के उन पर लागू होने से छूट न दें दे।

- कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी। यदि उसके विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। **स्पष्टीकरण** :– इस नियम के प्रयोजनार्थ ''दहेज'' का वही अर्थ होगा जो इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 28) में दिया गया है।

- ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निर्हित नही समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नही होती : – परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक प चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहा बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

- राज्य सरकार के परिपत्र क्रंमाक प.6(19)गृह –13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

- राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे।

- परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना आवश्यक है। ऑनलाईन आवेदन नहीं भरने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश सर्वथा लागू होंगे।

7. परीक्षा आयोजन प्रक्रिया

- परीक्षा दिनांक 27 अक्टूम्बर 2013 (रविवार) को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर दोपहर 2.00 से 4.00 बजे तक आयोजित की जायेगी।
- परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्ति :– कार्यालय की वेबसाइट www.resdd2013.org पर 22 अक्टूम्बर 2013 से डाउनलोड करें।
- परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घंटा पूर्व आवश्यक रूप से पहुँच कर स्थान ग्रहण करें।
- परिक्षार्थियों को अपना आवेदन पत्र की प्रति परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को सुपुर्द करना होगा।
- परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी अपने पद के निर्धारित प्रश्न पुस्तिका (Question Booklet) प्राप्त कर, अवलोकन पश्चात् यह सुनिश्चित कर लेवे कि उसके सभी पृष्ठ पूर्ण है, कोई भी पृष्ठ क्षतिग्रस्त नहीं है तथा प्रश्नों का क्रमांक बढ़ते क्रम में है। **क्षतिग्रस्त/त्रुटिपूर्ण प्रश्न पुस्तिका** तथा **OMR Sheet को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनिट तक बदलवा लेवें इसके पश्चात् कोई बदलाव नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।**
- किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षा समाप्ति के पश्चात् OMR Sheet वीक्षक को सुपुर्द करने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ें।
- प्रश्न पत्र संरचनाः– प्रश्न पत्र पद के अनुसार अलग–अलग खण्डों में विभाजित है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। सभी **प्रश्न बहुवैकल्पिक** (Multiple Choice Questions) प्रकार के होगे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। उत्तरों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न का एक तिहाई अंक काटा जायेगा।
- परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी वेबसाईट पर दिनांक 28.10.2013 को प्रकाशित किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजियों में किसी तरह की आपति हो तो वे वेबसाईट पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते है। आपति दिनांक 1.11.2013 तक दर्ज की जा सकती है उसके पश्चात आपतियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा समाप्ति के पश्चात् परीक्षार्थी Question Booklet अपने साथ लेकर जा सकते है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि अपना ओएमआर शीट वीक्षक को सुपुर्द करने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोडें।

लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित पाठयक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी अवधि 2 घन्टे होगी। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। उत्तरों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न का एक तिहाई अंक काटा

जायेगा। प्रबंधक ग्रेड–II, पुजारी एवं सेवागीर के पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र अलग–अलग होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम निम्न प्रकार हैः–

पाठयक्रम- प्रबंधक ग्रेड-II

भाग–अ (कुल प्रश्न 25, अंक 75, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है)

सामान्यज्ञान एवं सामान्यविज्ञान, नवीनतम राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी
राजस्थान का इतिहास, भूगोल, संस्कृति एवं कला- राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं लोक परम्पराओं का सामान्य ज्ञान

भाग–ब (कुल प्रश्न 25, अंक 75, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है)

भारतीय ऐतिहासिक- सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में धार्मिक-दार्शनिक परम्पराओं उपासना पद्धतियो का सामान्य ज्ञान
भारत का सांस्कृतिक भूगोल - प्रमुख तीर्थक्षेत्र, लोकतीर्थादि का परिचय (प्रमुख देवालय, नदी, संगम, पर्वत, सरोवर, चारधाम, सप्तपुरी, द्वादश ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, दिव्यदेश, महाकुंभस्थल आदि)

भाग–स (कुल प्रश्न 50, अंक 150, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है)

भारतीय परम्परागत कैलेण्डर -पंचांग का सामान्य परिचय, प्रमुख व्रत-पर्व, तीज-त्यौहार, मेलों का ज्ञान

संस्कृत साहित्य एवं शास्त्रों के इतिहास का सामान्य परिचय (वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य - आर्षकाव्य, दृश्य, श्रव्य काव्य उद्भव एवं विकास तथा धर्मशास्त्र, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शनादि शास्त्र आदि)
संस्कृत भाषा योग्यता (स्वर, व्यञ्जन, सन्धि, कारक, समास, प्रत्यय, उपसर्ग का ज्ञान तथा हिन्दी से संस्कृत अनुवाद)
देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान तथा अंग्रेजी भाषा का आधारभूत ज्ञान

पाठयक्रम- पुजारी

भाग–अ (कुल प्रश्न 25, अंक 75 प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है)

सामान्यज्ञान एवं सामान्यविज्ञान, नवीनतम राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी
राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं लोक परम्पराओं का सामान्य ज्ञान

भाग–ब (कुल प्रश्न 25, अंक 75, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है)

भारत का सांस्कृतिक भूगोल - प्रमुख तीर्थक्षेत्र, लोकतीर्थादि का परिचय (प्रमुख देवालय, नदी, संगम, पर्वत, सरोवर, चारधाम, सप्तपुरी, द्वादश ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, महाकुंभस्थल आदि)
भारतीय परम्परागत कैलेण्डर -पंचांग का सामान्य परिचय, प्रमुख व्रत-पर्व, तीज-त्यौहार, मेलों का ज्ञान

भाग–स (कुल प्रश्न 25, अंक 75, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है)

वैष्णव, शैव, शाक्त शास्त्रोक्त, सेवा-पूजा, अर्चनाविधि का सामान्य परिचय (सन्ध्योपासना, सर्वदेव षोडशोपचार पूजा एवं प्रतिष्ठा)
वैदिक एवं पौराणिक देवमाहात्म्य एवं प्रमुख स्तोत्रों का सामान्य परिचय -ऋग्वेद के पुरुषसूक्त, श्रीसूक्त, यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्याय, सर्वदेव अथर्वशीर्ष, विष्णुसहस्रनाम, दुर्गासप्तशती, रामायण- सुंदरकाण्ड, शिवमहिम्न स्तोत्र आदि.

भाग–द (कुल प्रश्न 25, अंक 75, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है)

संस्कृत साहित्य के इतिहास का परिचय (वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य - आर्षकाव्य, दृश्य, श्रव्य काव्य उद्भव एवं विकास)
संस्कृत भाषा योग्यता (स्वर,व्यञ्जन, सन्धि, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग का ज्ञान)
देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान

पाठयक्रम - सेवागीर

भाग–अ (कुल प्रश्न 20, अंक 60, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है)

सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान
राजस्थान की सांस्कृतिक एवं लोक परम्पराओं का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के तीज-त्यौहारों एवं मेलों का ज्ञान

भाग–ब (कुल प्रश्न 60, अंक 180, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है)

सेवा-पूजा, अर्चनाविधि का सामान्य परिचय
वैदिक एवं पौराणिक देवमाहात्म्य एवं प्रमुख स्तोत्रों का सामान्य परिचय -ऋग्वेद के पुरुषसूक्त, श्रीसूक्त, यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्याय. विष्णुसहस्रनाम, शिवमहिम्नस्तोत्र.
प्रमुख तीर्थ, लोकतीर्थादि का परिचय (प्रमुख देवालय, नदी, संगम, पर्वत, सरोवर, चारधाम, सप्तपुरी, द्वादश ज्योतिर्लिंग आदि)

भाग–स (कुल प्रश्न 20, अंक 60, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है)

संस्कृत भाषा योग्यता (स्वर,व्यञ्जन, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग वर्तनी शुद्धि का ज्ञान
देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान

आयुक्त
देवस्थान विभाग
राजस्थान,उदयपुर